

विकास आयुक्त का कार्यालय  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र  
भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096  
टेलिफोन: 28294722 फैक्स: 022-28291754

सं.सीपज़-सेज़/न्यूसेज़/ओएसएमपी/233/15-16/वॉल्यू - III/10376

दिनांक 03.07.2015

सार्वजनिक सूचना सं. 07/2015

**विषय:- सेज़ यूनिटों / विकासकों के संबंध में आवेदनों / अनुमतियों का डिजिटीकरण (फेज़ II)**

सभी विकासकों /सह विकासकों /यूनिटों को इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि डिजिटीकरण (फेज़ II) के अंतर्गत सेज़ यूनिटों / विकासकों के लिए विभिन्न अनुमोदनों / सूचनाओं तथा रिपोर्टिंग हेतु निम्नलिखित ऑन लाइन सेवाएं प्रारंभ की जाती हैं:-

**डिजिटीकरण फेज़ II**

**विकासक**

- फॉर्म सी 3 (सेज़ के सेक्टर में परिवर्तन हेतु आवेदन)
- फॉर्म सी 4 (अधिसूचित सेज़ में अतिरिक्त जमीन हेतु आवेदन)
- फॉर्म सी 5 (अधिसूचित सेज़ में जमीन हटाने हेतु आवेदन)
- फॉर्म सी 6 (अधिसूचित सेज़ के डिनोटिफिकेशन हेतु आवेदन)
- सीएसटी छूट के लिए फॉर्म I हेतु आवेदन
- प्रोसेसिंग एरिया में कैंटीन सुविधाओं के लिए स्थान लीज पर हेतु आवेदन
- सेज़ में प्राधिकृत प्रचालनों के लिए सामग्रियों तथा सेवाओं की सूची के अनुमोदन हेतु आवेदन

**यूनिट**

- इंपोर्टर कोड के जारी किए जाने हेतु आवेदन
- पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने हेतु आवेदन
- सीएसटी छूट के लिए फॉर्म I के जारी किए जाने हेतु आवेदन
- सेवाओं की सूची के अनुमोदन हेतु आवेदन
- यूनिट के अतिरिक्त क्षेत्र हेतु आवेदन
- यूनिट के एरिया हटाने हेतु आवेदन
- सेज़ स्कीम से अंतिम वहिर्गमन आदेश हेतु आवेदन
- जीएसपी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

विकास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विकासकों / सभी सह विकासकों / सभी यूनिटों से इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे सेज़ ऑन लाइन के जरिए उपर्युक्त अनुमोदनों / सूचनाओं / रिपोर्टिंग के लिए आवेदन करें। तथापि परीक्षण अवधि के दौरान हार्ड कापिया भी भेजें।

यह विकास आयुक्त, सीपज़ सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी.एस.रामन)

संयुक्त विकास आयुक्त  
सीपज़ सेज़

प्रति:- 1. सीपज़ सेज़ के सभी यूनिट

2. न्यू सेज़ के सभी विकासक / सभी सह विकासक /सभी यूनिट

3. विकास आयुक्त, सीपज़ -सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी

4. वेबसाइट